न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 45/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गोपाल पुत्र रूपसिंह जाति रावत निवासी रावतखेडा तहसील रिंयाबडी।		उप तहसीलदार, भैरून्दा।

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 16.11.17

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरून्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 66/2016 सरकार बनाम गोपाल में निर्णय दिनांक 21.02.2017 के तहत मौजा रावतखेडा के खसरा नं. 909 रकबा 4 बीघा बारानी–2 भूमि से बेदखली, शास्ति एवं सिविल कारावास के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 9.3.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 24.3.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि द्वारा सुस्थापित सिद्वान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में अपीलांट का हठधर्मिता पर अडिग होने और गत पेशी पर अतिक्रमण हटाने का समय मांगने और उसके द्वारा नही हटाने के कारण उसके विरूद्व ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होना लिखा है। जबकि उक्त आधार के आधार पर धारा 91 के तहत अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नही था। जिससे भी निर्णय जैर अपील खारिज होने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के बयानों को आधार माना है, जबकि उक्त दोनो गवाह के बयानों के संबंध में अपीलांट को जिरह करने का अवसर तक नही दिया है और एकपक्षीय बयानों को मानने का कोई विधि सम्मत आधार भी नही है। इसके अलावा अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में बिना कोई निष्कर्ष दिये जो निर्णय पारित किया है, वो पूर्णतया एकपक्षीय रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दिया है। क्योकि अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी तक नही की है, इसके अलावा उक्त निर्णय में ऐसा कोई ठोस कारण नही दिया है, जिससे अपीलांट के विरूद्व ऐसा कठोर निर्णय पारित करना न्यायोचित हो, जिससे भी निर्णय जैर अपील खारिज होने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट के द्वारा खसरा नं. 909 रकबा 4 बीघा ग्राम रावतखेडा की भूमि पर वर्षो से कब्जा काश्त बतौर खातेदार चला आ रहा है, जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, तो ऐसी स्थिति में नियमित वाद के विचाराधीन रहते धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित किया जाना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नही था, फिर भी उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वो खारिज होने योग्य है।

{2}(V)–खसरा नं. 909 रकबा 67 बीघा 4 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि पर अपीलांट का राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व बतौर काश्तकार निर्बाध, शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है, जिसमें किसी के द्वारा दखल अंदाजी नही की गई थी। परंतु अपीलांट के अनपढ होने के कारण राजस्व रिकार्ड में

अपर कलक्टर, नागौर

उक्त भूमि उसके खातेदारी में इन्द्राज नही होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत गलत प्रकार से प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अपीलांट का कब्जा पुराना चला आ रहा है। इसके अलावा जिस भूमि पर अपीलांट का कब्जा है, वो भूमि बारानी दोयम भूमि है, जो किसी भी प्रकार से धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि नही है और उपरोक्त भूमि पर अपीलांट ने वर्षो की मेहनत व लाखों रू. व्यय कर इस भूमि को उपजाऊ बनाया है और जिस पर काश्त करके अपनी आजीविका चलाता है। उक्त भूमि नियमन योग्य है एवं अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त होने से ऐसी भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को पुराने कब्जे के नियमन हेतु संबंधित नियमन कमेटी को सिफारिश किया जाना था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट के विरूद्व जो निर्णय जैर अपील पारित किया है, वो खारिज होने योग्य है।

{2}(VI)–अपीलांट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण केवलमात्र स्थानीय राजनीति से प्रेरित होकर करवायी गयी है। जबकि अपीलांट का मामला पूर्णतया नियमन योग्य बनता है तथा राज. सरकार के विभिन्न परिपत्रों में ऐसी भूमियों में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये हुए है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट जो कि एक गरीब काश्तकार है, को उक्त भूमि का नियमन के लिये लिखा जाना चाहिये था, परंतु इसके विपरीत अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पूर्णतया अमानवीय, अवैधानिक व अनुचित है, जो खारिज होने योग्य है। अपीलांट द्वारा दिनांक 15.5.17 को भौतिक रूप से अतिक्रमण हटा भी लिया गया है। इसलिये सिविल कारावास की सजा निरस्त की जानी चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा रावतखेड़ा में स्थित बारानी–2 सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि राजकीय भूमि है। इससे पूर्व में दिनांक 06.01.16 को भौतिक रूप से बेदखली भी की गई है तथा पश्चातवृति अतिक्रमण होने पर ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रावतखेड़ा के खसरा नंबर 909 रकबा 4 बीघा बारानी–2 राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इससे पूर्व भौतिक रूप से बेदखली किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 06.01.16 जो कि अपीलांट की मौजूदगी में बनाया गया है, से भी साबित है तथा उक्त भौतिक बेदखली को भू अभिलेख निरीक्षक के बयान दिनांक 14.7.16 से साबित भी कराया गया है। इस प्रकार पश्चात्वृत्ति अतिक्रमण किया जाना बेखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर